25/10/16 पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादी-प्रतिवादी विधिवत गवाही कराने हेतु नियत। वादी व प्रतिवादी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति व अनुपस्थिति में वादी का वाद स्वतंत्र किया जाता है। पत्रा. नस्ती से कम होकर वाद व काम वाद्दिम दस्तावेज की जावे।

Scanned by CamScanner